मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

124वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 17–08–2023

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 124वीं बैठक दिनांक 17—08—2023 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 124वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 17—08—2023 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1.	श्री अभिषेक पाण्डेय	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री दीपक मीणा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्रीमती ममता मालवीय	अपर नगर आयुक्त प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री एस0सी0 गौड,	चीफ को—आर्डिनेटर प्लानर, (प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद) एन0 सी0 आर0 सैल गाजियाबाद।	सदस्य
6.	श्री मोहित वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री राजेन्द्र बहादुर यादव	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य

9.	श्री दीपेन्द्र कुमार,	उपायुक्त, उद्योग प्रतिनिधि अपर निदेशक उद्योग मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–04–2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि –

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 06–04–2023 को सम्पन्न 123वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

118वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–11–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1	2.	3.	4.
13	मेरठ विकास प्राधिकरण में जैम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर 02 मानचित्रकार (ड्राफटमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेन्ट कार्य पर रखे जाने	मेरठ विकास प्राधिकरण में जैम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर विधि सलाहकार, प्लानिंग असिस्टेन्ट, लेखाकार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को रू0 35000/– मासिक मानदेय पर तथा ड्राफ्टमैन व लेखपाल को रू0 25000/– मासिक मानदेय पर रखने हेतु सर्विस प्रोवाईडर की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा0 बोर्ड को यह भी अवगत कराना है	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

	हेतु प्रस्ताव	कि स्कीम फार असिस्टेन्ट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट 2023–24 भाग–3 (नगरीय नियोजन सुधार) के क्रम में अर्बन प्लानर, ट्रांसपोर्ट प्लानर, अर्बन डिजाईनर के एक–एक पद हेतु योग्यता/अनुभव/मासिक मानदेय का निम्नानुसार निर्धारण कर जैम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाईडर के चयन की कार्यवाही की जा रही है।	

पद का नाम	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव/ तकनीकी योग्यता	निर्धारित मासिक मानदेय (रूपये मे)
अर्बन प्लानर	01	मास्टर इन अर्बन प्लानिंग	न्यूनतम 3 वर्ष का अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में कार्यों का अनुभव	45000/–
ट्रांसपोर्ट प्लानर	01	मास्टर इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग	न्यूनतम 3 वर्ष का अर्बल प्लानिंग/ट्रांसपोटेशन के क्षेत्र में कार्यों का अनुभव	45000/–
अर्बन डिजाईनर	01	मास्टर इन आर्केटैक्चर /अर्बन डिजाईन/ प्रोडक्ट डिजाईन	न्यूनतम 3 वर्ष का आर्केटैक्चर/अर्बन डिजाईन/इंटीरियर डिजाईन के क्षेत्र में कार्यों का अनुभव	45000/–

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23—02—2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन—

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1	2.	3.	4.
1.	वित्तीय वर्ष 2022—23 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023—24 का प्रस्तावित आय—व्ययक।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने हेतु वेद व्यासपुरी योजना के अर्न्तगत जोनल पार्क को ''क्रान्तिधरा पार्क'' के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु निविदा आदि की कार्यवाही प्रचलित है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यह स्थल मेरठ का एक दर्शनीय स्थल होगा तथा आर0आर0टी0एस0 व बाईपास के विकसित होने के कारण वेद व्यासपुरी योजना में आबादी का घनत्व बढने से भविष्य में उक्त ''क्रान्तिधरा पार्क'' से प्राधिकरण को आय होना सम्भावित है। यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट 2023—24 भाग—3 (नगरीय नियोजन सुधार) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा गंगानगर योजना की 45 मी0 महायोजना मार्ग को पेडिस्ट्रियन फ्रैन्डली स्ट्रीट डेवलप करने हेतु, डेवलैपमेन्ट ऑफ वाटर बाडी एट गगोल तीर्थ तथा वेदव्यासपुरी योजना के अन्तर्गत अर्बन	मा0 बोर्ड द्वारा कार्ययोजना का अवलोकन कर सहमति प्रदान की गयी।

		फॉरस्ट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है, जिस हेतु प्राधिकरण द्वारा पृथक–पृथक डिजाईनिंग/प्लानिंग हेतु कोटेशन आमत्रित किये गये हैं।	
8.	प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के भूखण्ड की निहित भूमि का उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक केन्द्र तथा उक्त के क्रम में सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्डों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.02.2023 के कार्यवृत्त के अनुपालन में प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के भूखण्ड में निहित भूमि का उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक केन्द्र तथा उक्त के क्रम में सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्डों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में, आम जनता से "आपत्ति एवं सुझाव" प्राप्त किये जाने हेतु दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों क्रमशः अमर उजाला व हिन्दुस्तान दिनांक 22.02.2023 में विज्ञप्ति प्रकाशन के माध्यम से एक माह की समयावधि हेतु जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त आमंत्रित किये गये थे। उक्त निर्धारित समयावधि में कार्यालय में जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए है। शताब्दी नगर योजना के सैक्टर–05 में 10148.00 वर्ग मी0 भूमि पर नियोजित सामुदायिक केन्द्र के स्थान आवासीय भूखण्ड तथा सैक्टर–02 में अर्धनिर्मित प्रस्तावित उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केन्द्र में उपयोगार्थ नियोजित कर संशोधित ले–आउट प्लान	मा0 बोर्ड द्वारा सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में नियोजित आवासीय भूखण्डों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये।

		तैयार कर उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 16–08–2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया ।	
10.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में समस्त योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक 834 / प्र0अधि0(वि0 / यॉ0) / 2023–24 दिनांक 24–07–2023 (छाया प्रति अवलोकनीय संलग्न) द्वारा नगर आयुक्त को अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में महाप्रबन्धक (जल) नगर निगम, मेरठ द्वारा पत्रांक 210 / जलकल / 2023–2024 दिनांक 31–07–2023 (छाया प्रति अवलोकनीय संलग्न) के द्वारा 13 नग एस0टी0पी0 व सम्बन्धित नेटवर्क का निरीक्षण कराये जाने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर वी.ए. टेक वबाग चैन्नई को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में वी.ए. टेक के अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियन्ता व जलकल विभाग, नगर निगम, मेरठ के अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 13 नग एस0टी0पी0 का निरीक्षण माह मार्च–2023 में जलकल, नगर निगम, मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा प्रकरण में गहन विचारोपरान्त अपर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न समिति के गठन करने के निर्देश दिये गये:– 1– अपर आयुक्त (मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित) 2–सचिव (मेरठ विकास प्राधिकरण) 3–अपर नगर आयुक्त (नगर आयुक्त द्वारा नामित) 4–अधिशासी अभियन्ता (वि / यां0) मेरठ विकास प्राधिकरण 5– अधिशासी अभियन्ता (नगर आयुक्त द्वारा नामित)

		संयुक्त रूप से किया जा चुका है।	6— अधिशासी अभियन्ता (जल निगम) यह समिति अपने स्तर से अधीनस्थों को भी शामिल कर सकती है। समिति का मुख्य कार्य सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के मानक परिचालन पद्धति (SOP) तथा एस0टी0पी0 का मेरठ विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तान्तरित कराने का कार्य ससमय पूर्ण करायेगी।
11.	शताब्दीनगर योजना के सैक्टर–2 में स्थित उपाध्यक्ष आवास में किये गये कार्य का अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं0 26519 / 2022	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन में मैसर्स कार्तिक बिल्डकेयर के पक्ष में दिनांक 09–08–2023 को नियमानुसार एवं विभागीय कटौती के उपरान्त अंकन धनांक रू0 49,09,460/-(जी0एस0टी0सहित) का भुगतान कर दिया गया है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

	मैसर्स कार्तिक बिल्डकेयर, प्रा0लि0 एण्ड अनादर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ओर 4 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित् निर्णय/आदेश दिनांकित 17—11—2022 का अनुपालन किये जाने एवं शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 2 में आवंटित भूखण्ड की त्रुटि सुधार हेतु किसी अन्य भूखण्ड का कब्जा दिये जाने विषयक सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं0 33600/2022 खुर्शीद जबीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक12—12—2022 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्ताव।		
12.	अफोर्डेबल हाउसिंग	प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक दिनांक	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया

	नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	23—02—2023 में फ्लैट को बल्क सैल में विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने से पूर्व शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्रांक 696/अधि0अभि0/2022—23 दिनांक 17—04—2023 तथा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्रांक 3947/कार्या0—उपा0/2023 दिनांक 07—08—2023 मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया है, उक्त सन्दर्भ में शासन का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। शासन के निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भुगतान/बल्क में विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।	गया कि शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाये।
13.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित ''निर्माण निषिद्ध क्षेत्र'' में पडने वाले 254 आवंटियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 4सी के पॉकेट ई व एफ में आवंटित विभिन्न श्रेणी के भवनों/भूखण्डों में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित कुल 254 सम्पत्तियों के स्थलीय सत्यापन हेतु विशेष कार्याधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 18—05—2023 को समिति का गठन किया	मा0 बोर्ड द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग से सत्यापन उपरान्त निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में आने वाली सम्पत्तियों तथा इसी प्रकार आवंटन में अनियमितता, स्थलीय अवरोध

		गया। समिति की आख्या दिनांक 03/08–08–2023 द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त 254 सम्पत्तियों में से 53 सम्पत्ति "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" के अन्तर्गत आती है तथा 201 सम्पत्तियां सिविल ऐविएशन ऑर्गेनाईजेशन के मानकों तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016 में संशोधन 2017) के अनुरूप 275 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इन सम्पत्तियों पर अधिकतम् 21 मीटर ऊँचाई तक का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त 201 सम्पत्तियाँ "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" में नहीं आती है। उक्त के सत्यापन हेतु नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा गया। नागरिक उड्डयन विभाग से सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त इसमें अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	तथा प्राधिकरण की त्रुटि के कारण आवंटियों को आवटित सम्पत्ति पर कब्जा न दिये जाने एवं अन्य समान प्रकृति के विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा इनके समायोजन हेतु विस्तृत कार्ययोजना आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
14.	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् जिनकी दिनांक 31–03–2018 को लागू रही कीमत बोर्ड द्वारा तद्न्तर दिनांक 30–09–2022 तक	मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में पहले आओं पहले पाओं पद्धति से दिनांक 08.08.2023 से 07.10.2023 तक के लिये आवेदन पत्र सामान्य जन से आमन्त्रित किये गये है दिनांक 17.08.2023 तक 65 फ्लैट/विला का पंजीकरण 10 प्रतिशत धनराशि जमाकर कराया गया तथा उनके पक्ष में आवटन पत्र जारी किया जा चुका है। सामान्य जन के मध्य इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

	अवधि हेतु फ्रीज़ करते हुए लाटरी पद्धति से निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया था, को ''प्रथम आओ, प्रथम पाओं'' पद्धति से आवंटन/निस्तारण किये जाने का प्रस्ताव।	भविष्य में भी इसके सफल होने की प्रबल सम्भावना है।	
15.	लिपिकीय त्रुटिवश आवंटन में अनियमितता, स्थलीय अवरोध के कारण सम्पत्ति का विकास सम्भव न हो पाना अथवा ले आउट में किसी प्रकार की त्रुटि, मौके पर अन्य कोई संरचना होने पर ऐसी सम्पत्तियों के सापेक्ष आवंटी की जमा धनराशि सब्याज वापस करने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–04–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–			
1.	मेरठ महायेजना प्रारूप 2031 पर प्राप्त	मेरठ विकास प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवृत्त के अनुपालन में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) 124 वीं बोर्ड बैठक में विस्तृत	124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 के

	आपत्तियों एवं सुझावों हेतु शासन द्वारा गठित समिति की सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	रूप से प्रस्तुत किया गया।	प्रस्ताव पर निर्णय के रूप में प्रस्तुत।
2.	अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण/ मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रूपये 25,000/–मानदेय पर कम्प्यूटर सहायक के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में आउटसोर्स पर कुल 27 कम्प्यूटर आपरेटर कार्य कर रहें हैं, जिन्हें 25000/– प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप)	मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण की

	पर एसडीए परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज पर जनसामान्य /व्यक्ति विशेष/संस्था से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के समिति की संस्तुति एवं यू0पी0 ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेशकों के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर समिति की संस्तुति के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।	123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवृत्त के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही की गयी:– 1. मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर एसडीए परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज पर जनसामान्य/व्यक्ति विशेष/संस्था से दिनांक 12.07.2023 से 26.07.2023 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। उक्त समयावधि में जनसामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण हेतु गठित आपत्ति/सुझाव निस्तारण समिति की संस्तुति के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) में यथावश्यक संशोधन किया गया। उक्त के साथ–साथ यू0पी0 ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेशको के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का परीक्षण किया गया। तदानुक्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) मा0 बोर्ड के समक्ष शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। **संलग्नक–1** 2. मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर एस0डी0ए0 परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय:– मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर एसडीए परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज पर जनसामान्य/व्यक्ति विशेष/संस्था से दिनांक 12.07.2023 से 26.07.2023 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। उक्त समयावधि में जनसामान्य से 07 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है, जिनकी समिति द्वारा प्राधिकरण सभागार कक्ष में दिनांक 31.07.2023 को सुनवाई की गयी। समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 की आपत्ति संख्या–07 पर विचार करते हुए दिनांक 24.08.2022 को जारी टी.ओ.डी. पॉलिसी के मुख्यतः प्रस्तर–3.4.1., 3.4.2, 3.4.3 व 3.4.4 में दिये गये प्राविधानों का गहन अध्ययन

		एवं परीक्षण किया गया, जिससे यह दृष्टिगोचर हुआ है कि एसडीए साउथ पर लगाये गये भू–उपयोगो को समाप्त करते हुए केवल एसडीए टी.ओ.डी. मिक्स यूज निर्धारित किया जाए तथा उक्त क्षेत्र में शासनादेश 2120/आठ–3–22–198विविध/2014 दिनांक 24.08.2022 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 टी0ओ0डी0 नीति 2022 के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही की जाये। आई0 जेड0 साउथ को आर.आर.टी.एस. स्टेशन से पश्चिम दिशा की ओर 1.5 किमी0 तथा पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन तक Influence Zones (IZ) की सीमा बढा दी जाए। 3. यू0पी0 ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में लिए गये निर्णय:– (क) 1– मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) में यू0पी0 ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेशकों के 542 निवेश प्रस्ताव, जो जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त कराये गये थे, परीक्षण किया गया। 2– समस्त प्रस्तावों में से ऐसे निवेशकों जिनके पास भूमि उपलब्ध है, की सूचना जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिनांक 31.7.23 तक उपलब्ध करायी गयी तथा इनकी कुल संख्या 82 है। 3– इन 82 निवेशको की चिन्हित भूमि में से महायोजना के संदर्भ में एक निवेशक द्वारा महायोजना–2031 (प्रारूप) पर आपत्ति संख्या–453 प्रस्तुत की गयी थी, जिसके निस्तारण हेतु सर्वप्रथम समिति द्वारा विचार किया गया। शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–242/78–वि–1–2023–2–क–13–2023 दिनांक 10.07.2023 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:– *"38ख–जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन*

महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के परिणामस्वरूप सडक, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख–सुविधाओं से भिन्न किसी विशिष्ट भूमि के भू–उपयोग, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू–उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने का हक होगा:

परन्तु यह कि जहां महायोजना प्रथम बार तैयार की जाए, वहां ऐसी भूमि के स्वामी से कोई नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत नही किया जाएगा",

उक्त अधिसूचना के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर प्राप्त निवेशक की आपत्ति संख्या–453 का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत निवेशक का स्थल रूडकी मार्ग (एन0एच0–58) पर स्थित है। निवेशक द्वारा इस स्थल पर औद्योगिक क्रिया प्रस्तावित करने के साथ वृहद निवेश प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत अधिसूचना दिनांक 10.07.2023 के प्राविधान 38ख के क्रम में आपत्ति संख्या–453 के स्थल का भू–उपयोग मार्गाधिकार एवं ग्रीन बैल्ट की भूमि छोडते हुये शेष भूमि को औद्योगिक भू–उपयोग किये जाने पर विचार किया गया।

बोर्ड ने समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्त पर चर्चा उपरान्त समिति के प्रस्ताव दिनांक 31–7–23 को स्वीकृत किया।

(ख) आपत्ति/सुझाव निस्तारण समिति द्वारा आपत्ति संख्या 453 के निस्तारण हेतु निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के आलोक में बोर्ड द्वारा शेष 81 प्रस्तावों की चिन्हित भूमि का मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) में निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण

		किया गयाः— (i) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—242/78—वि—1—2023—2—क—13—2023 दिनांक 10.07.2023 द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 38ख में स्थापित सिद्धान्त जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के परिणाम स्वरूप सडक, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख—सुविधाओं से भिन्न भू—उपयोग जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू—उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने का हक होगा। मात्र ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाये जहां भूउपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया एवं उसके प्रभाव उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन करती हो। (ii) भू—उपयोग परिवर्तन नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त हो एवं भूउपयोग परिवर्तित होने की दशा में उक्त स्थल पर नियमानुसार औद्योगिक तलपट मानचित्र/औद्योगिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा सके। (iii) प्रश्नगत स्थल के भू—उपयोग परिवर्तन होने से महायोजना—2031 (प्रारूप) में निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रफल के मानकों के प्रतिशत पर कोई प्रभाव न पडे। तद्क्रम में निवेशको के प्रस्तावों पर मा0 बोर्ड द्वारा गहन विचार—विमर्श किया गया। विचार—विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्न 06 निवेशको के प्रस्तावों को उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त पाया गया। इन 06 प्रस्तावों

		के सापेक्ष भू–उपयोग मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) में महायोजना मार्ग तथा ग्रीन वर्ज (जहां लागू हो) को छोड़कर औद्योगिक भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया। 1. कामाख्या इण्डस्ट्रीज–ग्राम मसूरी मवाना रोड, फिटकरी रोड, ख0सं0–739, 761 2. मैसर्स मल्टी प्रोडक्टस–ग्राम मसूरी मवाना, ख0सं0–780/6–2–3 व 780/4–6 3. मैसर्स सारू ब्रोन्ज प्रा0लि0–ग्राम मवाना खुर्द मेरठ–बिजनौर हाईवे ख0सं0–210/4, 226, 228, 229, 230, 231 4. जे0सी0एल0 एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0–ग्राम खरखौदा, मेरठ, ख0सं0–780, 787, 785मि (102.30), 781, 782, 784(1075), 794(1048) 5. मैसर्स वराहमूर्ति फलैक्सीरब इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0–ग्राम पूठरी जानी ब्लॉक ख0सं0–451ए, 451ब 6. हैम्प्को वेन्चर्स प्रा0लि0–ग्राम समसपुर, ख0सं0–128, 130, 131 से 140, 141, से 144, 89, 90 से 98 मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर किये गये प्रस्तुतीकरण तथा आपत्ति/सुझाव निस्तारण समिति एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) में यथावश्यक संशोधन करते हुए उ0प्र0 शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.	यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन मानचित्रों	यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन मानचित्रों के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों यथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लोक निर्माण विभाग मेरठ,

	के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों यथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लोक निर्माण विभाग मेरठ, एन0एच0ए0आई0, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण/प्रदूषण विभाग, सिंचाई से वांछित अनापत्तियां आवेदन की तिथि से 45 दिनो के अन्दर प्राप्त हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	एन0एच0ए0आई0, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण/प्रदूषण विभाग, सिंचाई, मेरठ आदि विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनापत्तिया समय से निर्गत न होने के कारण मानचित्र स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड के समक्ष गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः- 1. सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत किये जाने वाली अनापत्तियां ससमय निर्गत किये जाने हेतु उपरोक्त विभागों को पृथक-पृथक निर्धारित समयावधि हेतु SOP (Standard Operating Procedure) एवं Digital App/Portal तैयार किया जाए। 2. उपरोक्त के अनुश्रवण हेतु आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों से अनापत्तियां निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक माह तीसरे बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर	प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड के समक्ष गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः- 1. प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने

	हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।	के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने हेतु मा0 बोर्ड द्वारा निम्न समिति गठित की गयी हैः— 1. अपर आयुक्त (नामित प्रतिनिधि, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ) — अध्यक्ष 2. अपर नगर आयुक्त (नामित प्रतिनिधि, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ) — सदस्य 3. सचिव (नामित प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण) — सदस्य 4. अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ — सदस्य 5. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ — सदस्य उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने हेतु SOP (Standard Operating Procedures) तैयार किया जाएगा तथा समिति के सदस्य अपने अधीनस्थ तकनीकी अधिकारियों को समिति में सम्मिलित करने हेतु अधिकृत होगे।
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 अधिसूचना संख्या—2119 / आठ—3—22—10 विविध / 2019 लखनऊ दिनांक 23.08.2022 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 अधिसूचना संख्या—2119 / आठ—3—22—10 विविध / 2019 लखनऊ दिनांक 23.08.2022 जो मेरठ विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि—2022 से सम्बन्धित है, को अंगीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि आई0टी0 एवं

		इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या–4/2021/1792/78–2–2020/254 एल.सी./2019 दिनांक 28.01.2021 एवं अधिसूचना संख्या–1399/78–2–2022/10(एम)/2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या–785/आठ–3–2023 दिनांक 10.04.2023 में उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 के अन्तर्गत अर्ह डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय उल्लेखित प्राविधानों को भी अंगीकार किया जाए। उक्त के क्रम में माननीय बोर्ड द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 785/आठ–3–2023 दिनांक 10.04.2023 में उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 के उल्लेखित प्राविधानों को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	ग्राम बराल परतापुर, मेरठ के खसरा संख्या–604/03, 605, 619 व 621 की भूमि क्षेत्रफल 17374.00 वर्ग मी0 पर बजट होटल के मानचित्र की	ग्राम बराल परतापुर, मेरठ के खसरा संख्या–604/03, 605, 619 व 621 की भूमि क्षेत्रफल 17374.00 वर्ग मी0 पर बजट होटल के मानचित्र को बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में विशेष अनुमति हेतु गठित समिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा बजट होटल के

	स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मानचित्र को नियमानुसार स्वीकृति किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।
2.	ग्राम जई किला परीक्षित गढ रोड, मेरठ के खसरा संख्या–793 की भूमि क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	ग्राम जई किला परीक्षित गढ रोड, मेरठ के खसरा संख्या–793 की भूमि क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प के मानचित्र को बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में विशेष अनुमति हेतु गठित समिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प के मानचित्र को नियमानुसार स्वीकृति किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

22/9/23

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।